भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली
2014-15 का बजट
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BUDGET 2014-15

अरुण जेटली

वित्त मंत्री
का
भाषण

SPEECH
OF
ARUN JAITLEY
MINISTER OF FINANCE

जुलाई / July, 2014

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

बजट 2014-15

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

18 जुलाई, 2014

अध्यक्ष महोदया,

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.), दिल्ली सरकार का वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. माननीय सदन के मान्य सदस्यों को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 239कख के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी, 2014 को लागू किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के पहले छह महीनों की अवधि के लिए सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कतिपय धनराशि का आहरण करने की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 संसद के दोनों सदनों द्वारा 21 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जारी है और इसलिए वर्तमान सत्र में संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का बजट पारित किया जाना जरूरी है।

बजट अनुमान 2014-15

4. वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल बजट अनुमान ₹36,766 करोड़ है। इसमें ₹19,066 करोड़ का आयोजना-भिन्न व्यय और ₹17,700 करोड़ का आयोजना व्यय है।

5. वर्ष 2014-15 के दौरान ₹36,766 करोड़ के प्रस्तावित कुल व्यय का वित्तपोषण ₹31,571 करोड़ के कर-राजस्व, ₹1,161.01 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व, ₹699.71 करोड़ की पूंजी प्राप्तियों और केंद्रीय सरकार से प्राप्त ₹3,672.09 करोड़ के सहायता-अनुदान से किया जाएगा।

6. आयोजना-भिन्न व्यय में मुख्यतया शामिल हैं - स्थानीय निकायों को करों के अंतरण के तौर पर ₹2,979 करोड़, स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर के हिस्से के तौर पर ₹1,401 करोड़, दिल्ली परिवहन निगम को उनके प्रचालन घाटे एवं रियायती पास की लागत की पूर्ति के लिए ₹839 करोड़, भारत सरकार को ब्याज अदायगी एवं ऋण-अदायगी के रूप में ₹4,956 करोड़ तथा उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी के तौर पर ₹260 करोड़।

7. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का बकाया ऋण ₹32,080.30 करोड़ से कम होकर चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर ₹30,404 करोड़ रह जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का बकाया ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का अनुपात 7.93 प्रतिशत है जो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम अनुपातों में है।

स्वास्थ्य

8. दिल्ली देश भर में स्वास्थ्य देख-रेख के एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रही है। यहां एक सुदृढ़ शहरी स्वास्थ्य देख-रेख व्यवस्था है और सक्रिय निजी क्षेत्र कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत लोक स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित की है। इसमें 32 मल्टि-स्पेशिएलिटी अस्पताल और 6 सुपर-स्पेशिएलिटी अस्पताल शामिल हैं जहां 10,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। साथ ही, 260 ऐलोपैथिक और 150 आयुष डिस्पेंसरियां भी काम कर रही हैं जिनकी व्यवस्था 20,000 से अधिक डॉक्टर एवं संबद्ध स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं।

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अस्पताली बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस समय, ₹940 करोड़ की लागत वाली अस्पताल परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है जिनसे 1400 से अधिक अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था हो सकेगी। सम्मिलित प्रयासों से, पिछले कुछ महीनों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 900 से अधिक डॉक्टर और 1100 नर्सों की भर्ती की गई है। दो सबसे बड़े अस्पताल नामतः लोक नायक अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल मिलकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लगभग एक-तिहाई रोगी भार को वहन करते हैं। इन्हें आदर्श स्वास्थ्य देख-रेख केंद्रों में रूपांतरित किया जा रहा है और बेहतर स्तरीय स्वास्थ्य देख-भाल मुहैया कराने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। 100 सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज रोहिणी में बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि विद्यार्थियों का पहला बैच वर्ष 2015 तक दाखिला ले ले।

10. दक्षिण दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के तहत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और इस क्षेत्र को लेकर इस संबंध में महसूस की गई जरूरत को देखते हुए, सरकार चालू वर्ष में दक्षिण दिल्ली के लिए एक मल्टि-स्पेशिएलिटी अस्पताल मंजूर करने का प्रस्ताव करती है।

11. सरकार ने रोगियों की देखभाल के लिए पिछले कुछ महीनों में अनेक रोगी-केन्द्रित उपाय किए हैं। गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त गरीब रोगियों को मुफ्त डायलिसिज सुविधा देने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के तहत तीस डायलिसिज यूनिटें सफलतापूर्वक चालू की गई हैं और चालू वर्ष में 50 और यूनिटें चालू की जाएंगी। तत्काल ट्रॉमा देख-भाल मुहैया कराने के लिए, अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपस्करों से लैस 110 नई एम्बुलैंस केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवा (कैट्स) के बेड़े में शामिल की जाएंगी। ओपीडी (बहिरंग-रोगी विभाग) पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। सरकारी अस्पतालों से माता और नवजात शिशु को डिस्चार्ज करते समय निःशुल्क जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है।

12. सरकार यौन अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं संकट प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पतालों में एक ही स्थान पर केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। ऐसे तीन केन्द्र दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरू तेग बहादुर अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में अगले तीन महीनों में कार्य करना आरंभ कर देंगे। यहां पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित, लिंग संबंधी भेदभाव से मुक्त अनुकूल माहौल में सही चिकित्सीय देख-भाल के साथ-साथ कानूनी और मनःचिकित्सीय एवं सामाजिक परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। केन्द्रीय सरकार ने इस वित्त वर्ष में ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले ही सहायता देने की वचनबद्धता कर दी है।

13. गरीब, कमजोर वर्गों के लोगों को स्तरीय चिकित्सा परिचर्या मुहैया कराने के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रयासों के अंतर्गत, पिछले एक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आए 10 लाख से अधिक ओपीडी (बहिरंग रोगी विभाग) रोगियों और 32,000 आईपीडी (अंतरंग रोगी विभाग) रोगियों को निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या मुहैया कराई गई। उनकी और मदद करने के लिए, ऐसे अस्पतालों में पात्र गरीब रोगियों के लिए बिस्तर बुक करने के लिए ऑन लाइन सुविधा भी शुरू की गई है।

14. मौजूदा फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी के कार्यभार परिमाण को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का तीन नई फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ₹11.25 करोड़ की कीमत पर शेख सराय, रोहिणी और गांव सयूरपुर में जमीन खरीदी गई है। जब तक भवनों का निर्माण-कार्य पूरा होगा, तब तक चालू वित्त वर्ष के दौरान चाणक्य पुरी में किराए की जगह पर एक और क्षेत्रीय फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देगी।

15. मैं 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 2,724 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो आयोजना परिव्यय (सीएसएस के सिवाय) का लगभग 16.3 प्रतिशत है।

शिक्षा

16. राजधानी में विद्यमान शैक्षणिक अवसंरचना को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 1 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) मानदंडों के अनुसार, दिल्ली को लगभग 500 नए स्कूलों की आवश्यकता है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, पहले चरण में, 20 नए विद्यालयों का निर्माण-कार्य चालू वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा। मैं, इस प्रयोजन के लिए ₹ 350 करोड़ की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

17. सरकार बालिकाओं की शिक्षा के संवर्धन के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है। 68 विधान सभा क्षेत्रों में केवल बालिकाओं के लिए 380 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। शेष दो विधान सभा क्षेत्रों में भी, बालिकाओं की शिक्षा के संवर्धन हेतु केवल बालिकाओं के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

18. सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में सभी विद्यालयों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, मरम्मत और उनके पूरी तरह ठीक-ठाक काम करने के आवश्यक उपाए किए जाएंगे।

19. स्तरीय शिक्षा शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पाठ्यक्रम विषय वस्तु, अध्यापन कौशल और सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षण वातावरण के सृजन पर ध्यान देगी। मौजूदा वर्ष में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से 20,318 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

20. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा के रूप में उर्दू, पंजाबी और संस्कृत पढ़ाई जा रही है। इन भाषाओं को संवर्धित करने के लिए, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत के अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी।

21. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार उच्च और तकनीकी शिक्षा हेतु स्तरीय अवसंरचना सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षित और कुशल युवा गतिशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली के तहत, एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 37 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। यह केंद्र उद्योग जगत की जरूरतों के आधार पर विभिन्न ट्रेडों में प्रतिवर्ष लगभग 15000 विद्यार्थी प्रशिक्षित करेगा।

22. दिल्ली में अनेक भाषायी समुदाय बसते हैं और यहां उर्दू, सिंधी, पंजाबी और हिंदी की चार अकादमियां हैं। यह प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष में इन अकादमियों को परियोजना आधारित वित्तीय सहायता दी जाए।

23. गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी दिल्ली में ₹ 285 करोड़ की लागत से एक नया नियोजन, वास्तुकला और डिजाइन विद्यालय बनाया जाएगा।

24. द्वारका में ₹151 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय और रोहिणी में ₹132 करोड़ की लागत से शहीद सुखदेव व्यवसाय अध्ययन महाविद्यालय के नए भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने नरेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईटी) दिल्ली हेतु ₹158 करोड़ की लागत पर 51 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है। एनआईटी, दिल्ली परिसर का निर्माण-कार्य तीव्रता से किया जाएगा।

25. मैं, 2014-15 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹ 2,482 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो आयोजना परिव्यय का लगभग 14.8 प्रतिशत (सीएसएस के सिवाय) है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

26. महात्मा गांधी ने कहा है कि *"गरीबी हिंसा का निकृष्टतम रूप"* है और *"किसी देश की महानता का पैमाना इस बात पर आधारित होना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों की देखभाल कैसे करता है"*। सरकार गरीब और कमजोर व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति पूर्णतया सचेत है। अतः मैं, 2014-15 के दौरान सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के लिए ₹1,862 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो आयोजना परिव्यय का लगभग 11.1 प्रतिशत (सीएसएस के सिवाय) है।

27. कैदी माता-पिता के बच्चे बहुत कठिन स्थितियों का सामना करते हैं। सरकार ऐसे माता-पिता के दो बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने अथवा उनके माता-पिता की रिहाई होने तक, जो भी पहले हो, आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव करती है।

28. महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। बालिकाओं और महिलाओं के भीतर विश्वास जगाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पलाइन की स्थापना, महिला हेल्पलाइन नंबर बढ़ाना, पेइंग-गेस्ट आवास और बालिका हॉस्टलों की सुरक्षा जांच, संवेदनशील स्थानों और महिलाओं के विरूद्ध अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) वैनों में महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान 8,124 बालिकाओं को आत्म-रक्षा प्रशिक्षण दिया गया है और 4,925 पुलिस कर्मचारियों ने महिलोन्मुखी सुग्राह्यीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। 155 महिला उप-निरीक्षकों और 1,434 महिला सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आशा है ये महिला कर्मचारी वर्ष 2014-15 में दिल्ली पुलिस में शामिल हो जाएंगी।

29. दिल्ली में, लगभग 36 लाख व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शेष पात्र परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी पात्र फायदाग्राहियों को अगले कुछ महीने में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया जाएगा। सभी 2500 उचित दर की दुकानों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और पात्र परिवारों को खाद्यान्नों का अधिक पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन उचित दर की दुकानों से दैनिक बिक्री की आनलाइन मानीटरिंग की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर की दुकानों तक खाद्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए लगाए गए सभी 300 वाहनों को जीपीएस-आरएफआईडी (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम - रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।

30. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 60-69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,500 मासिक पेंशन दे रही है। इस समय, लगभग 3.90 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। आकांक्षा वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, हम इस वित्त वर्ष से लाभार्थियों की संख्या 3.90 लाख से बढ़ाकर 4.30 लाख करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के अंतर्गत आयोजना परिव्यय 2013-14 में ₹538 करोड़ से बढ़ाकर 2014-15 में ₹600 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

31. मानसिक रोगियों की देखभाल और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र आशा किरण में 350 रोगियों को भर्ती करने की क्षमता है जबकि इसमें सभी आयु वर्गों के लगभग 906 मानसिक रोगी हैं। ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तीन और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

32. वर्तमान में, कामकाजी महिलाओं के लिए दो होस्टलों का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा रोहिणी और विश्वास नगर में किया गया है। इनमें कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और आरामदेय होस्टल सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जरूरतमंद महिलाओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकारी निजी भागादीरी (पीपीपी) प्रणाली के तहत, कामकाजी महिलाओं के लिए छः और ऐसे होस्टलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

आवास और शहरी विकास

33. आश्रयविहीनों को आश्रय उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक है। वर्तमान में, दिल्ली में 185 रैन बसेरे हैं। सात और रैन बसेरों के निर्माण हेतु भूमि का क्रय किया गया है। इनका निर्माण चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा। आश्रयविहीन महिलाओं, बच्चों, नशा-खोरों आदि विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा कि सभी आश्रयविहीनों को उचित आश्रय मिले और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

34. झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) समूहों में रहने वाले अधिकतर स्लमवासियों के पास शौचालय सुविधा नही होती है। शौचालय की कमी से न केवल स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं बल्कि इससे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंता भी बढ़ती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार चालू वित्त वर्ष में दिल्ली में रहने वाले सभी स्लम वासियों को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। मैं, इस प्रयोजन के लिए, आयोजना परिव्यय को, 2013-14 में किए गए ₹ 17 करोड़ से बढ़ाकर, चालू वित्त वर्ष में ₹ 35 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

35. आवासीय क्षेत्र का दूसरा प्रमुख मुद्दा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत कालोनियों के बसने की समस्या को नियंत्रित करते हुए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएम) के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत लगभग 58064 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कर रही है। इनमें से, 14844 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

36. अनधिकृत कालोनियों का विकास और उनको नियमित करना प्रमुख चुनौतियों में से एक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एक समयबद्ध प्रणाली में अनधिकृत कालोनियों में अनिवार्य सुविधायें उपलब्ध कराएगी। 50 अनधिकृत कालोनियों में जलापूर्ति पाइपलाइनों से कराई जाएगी और 95 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अनधिकृत कालोनियों में अनिवार्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ₹711 करोड़ का आबंटन किया गया है।

37. मैं, 2014-15 के दौरान, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए ₹2,154 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

जल-पूर्ति

38. दिल्ली में शोधित तथा स्वच्छ पेयजल की क्षमता में 2007 से कोई वृद्धि नहीं की गयी है, जबकि जनसंख्या हर वर्ष बढ़ रही है। हमने दिल्ली के समग्र जल परिदृश्य का विश्लेषण किया है और निम्नांकित कार्यक्रमों के जरिए जल समस्याओं के समाधान का निर्णय लिया है:

i. हमारा यह प्रयास होगा कि हरियाणा सरकार के साथ मामले को सुलझाने के पश्चात, मुनक से हैदरपुर तक पक्के समानांतर चैनल को चालू किया जाए। इससे नवनिर्मित जल शोधन संयत्र, द्वारका [40 मिलियन गैलन दैनिक (एमजीडी)], ओखला (20 एमजीडी) तथा बवाना (20 एमजीडी) को अर्थात् 80 एमजीडी कच्चा पानी उपलब्ध हो सकेगा, इससे दिल्ली के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और उत्तरी-पश्चिमी भागों में रह रही लगभग 35 लाख की जनसंख्या के लिए पाना की आपूर्ति संभव होगी।

ii. राजधानी क्षेत्र के जलापूर्ति संबंधी दीर्घावधिक मुद्दों के समाधान हेतु; काफी समय से लंबित रेणुका बांध के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 10 जुलाई, 2014 को, 2014-15 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने इस प्रयोजनार्थ ₹50 करोड़ की आरंभिक राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

iii. कच्चा पानी संसाधन उपलब्ध कराने के अलावा, मौजूदा जल शोधन, ट्रंक, परिधीय तथा वितरण प्रणाली को उन्नत बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में ₹2,018 करोड़ की लागत से चन्द्रावल जल-शोधन संयत्र और ₹2,243 करोड़ की लागत से वजीराबाद जल-शोधन सयंत्र का पूरी तरह से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण शामिल होगा। यह कार्यक्रम विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत आएगा और क्रमशः जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) एवं एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

(iv) जल की कमी वाले क्षेत्रों में वहनीय लागत पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, छोटे आकार के विकेन्द्रीकृत पेय जल रिजर्व ओस्मोसिस (आरओ) आधारित संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और वाटर आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीम) के जरिए पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा। भूमिजल/टैंकर सेवाओं पर निर्भर रहते हुए लगभग 500 एटीएम की 2014-15 में स्थापना की जाएगी।

39. मैं, 2014-15 के दौरान, जल आपूर्ति हेतु ₹1,249.20 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

यमुना में सफाई एवं उसका प्रदूषण नियंत्रण

40. मैं यमुना का विकास और इसके प्रदूषण संबंधी मामले का समाधान करना अनिवार्य समझता हूँ। पप्पन कलां, निलोठी, यमुना विहार तथा दिल्ली गेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थापना इस वर्ष के अंत तक कर दी जाएगी, इससे वर्तमान में, 604 एमजीडी की सीवरेज शोधन क्षमता बढ़कर 684एमजीडी हो जाएगी। कोंडली, रिठाला तथा ओखला में स्थित पुराने सीवरेज जल शोधन संयंत्र तथा उनके सहबद्ध ढांचे का यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी-iii) के तहत पुनर्रूद्धार किया जाएगा।

41. सिंगापुर सरकार की तकनीकी सहायता से एक 40 एमजीडी एसटीपी की आयोजना बनाई गई है ताकि उपचारिता उत्सर्जनों की स्तरीय गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। इस उपचारित उत्सर्जन को पल्ला में यमुना में गिराने का प्रस्ताव है ताकि अधिक कच्चा पानी प्राप्त किया जा सके और शोधन हेतु वजीराबाद जल शोधन सयंत्र में ले जया जा सके।

42. ₹1976 करोड़ की लागत पर तीन मुख्य जल निकासियों के साथ-साथ इन्टरसेप्टर बिछाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जून, 2015 तक पूरा हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक जल निकासी द्वारा केवल शोधित अपशिष्ट जल को ही यमुना नदी में छोड़ा जाएगा। इस प्रकार से यमुना नदी में जल की गुणवत्ता बढ़ेगी।

43. यमुना नदी के प्रास्थितिकीय पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। मैं दिल्ली में नदी तटों का सौन्दर्यकरण शुरु करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

44. मैं, 2014-15 के दौरान जल निकासी सेक्टर के लिए ₹750.80 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

परिवहन

45. दिल्ली में सड़क परिवहन अभी भी सार्वजनिक परिवहन का पसंदीदा तरीका है। तथापि, कुल 5000 बसों के बेड़े में, लगभग 1300 पुरानी किस्म की बसें हैं, जो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती हैं। इन्हें तुरन्त बदलने की आवश्यकता है। यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम हेतु 1380 सेमी-लो फ्लोर बसें खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

46. यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम इलेक्ट्रोनिक टिकेटिंग मशीनों और कार्ड रीडर्स के जरिए स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली शुरु करेगा। इस प्रणाली को बाद में दिल्ली मेट्रो की किराया संग्रहण प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा, जिससे यात्री दिल्ली में आसानी से सार्वजनिक परिवहन के दोनों साधनों का उपयोग कर सकेंगे।

47. यात्रियों के लिए अधिक बसें उपलब्ध कराने हेतु, निजी क्षेत्र के कारपोरेट ऑपरेटर 400 नई कलस्टर बसें लाएंगे जिससे इस वित्त वर्ष में कलस्टर बसों के बेड़े में लगभग 1600 बसें हो जाएंगी।

48. परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि इन कार्यालयों में जाने वाले दिल्ली के नागरिकों को सुविधापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं दी जा सकें।

49. सराय काले खां और आनन्द विहार में स्थित अन्तरराज्यीय बस अड्डे उपयुक्त अवसंरचना के बिना प्रचालनरत हैं। इन दोनों स्थलों पर नए अन्तरराज्यीय बस अड्डे निर्मित किए जाएंगे ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

50. ₹533 करोड़ की लागत पर बारापुला नाला के ऊपर एलिवेटिड कॉरिडोर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर को तीसरे चरण में सराय काले खां से आगे बढ़ाकर मयूर विहार तक किया जाएगा।

51. सड़क परिवहन की मात्रा में तेजी से बढ़ने के कारण अनेक इंटरसेक्शन जहां सिंगल कैरिज-वे फ्लाई ओवर हैं, उनमें दोहरी कैरिज-वे फ्लाई ओवर बनाने की जरूरत है। कुछ चुनिंदा फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

52. मैं 2014-15 के दौरान परिवहन क्षेत्र के लिए ₹3,702 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

ऊर्जा

53. पारेषण और संवितरण नेटवर्क सुधारने के लिए, दिल्ली ट्रांस्को लि. (डीटीएल) हर्ष विहार में एक नया 400 कि.वा. उप-केन्द्र तथा पीरा गढ़ी में 220 कि.वा. जीआईएस (गैस इन्सुलेटिड स्विच गेयर) उप-केन्द्र शुरु करने जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में पप्पन कलां, तुगलकाबाद और राजघाट विद्युत केन्द्र पर तीन नए 220 कि.वा. उप-केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

54. बवाना में शुरू किया गया 1500 मेगा वाट का गैस टरबाइन केन्द्र अभी तक पूर्णरूपेण कार्यरत नहीं है और इस संयंत्र को पूरी तरह कार्यरत करने के लिए उचित लागत पर पर्याप्त गैस आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे।

55. ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत आठ स्थलों पर 335 कि.वा. पी (किलोवाट पीक) के सौर फोटोवोल्टेक संयंत्र और विकास भवन-II में 100 कि.वा.पी एसपीवी संयंत्र शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर 130 कि.वा.पी. एसपीवी संयंत्र संस्थापन अधीन है। चालू वर्ष में दिल्ली सचिवालय में 10 कि.वा.पी. एसपीवी संयंत्र और चार सरकारी अस्पतालों में 25 कि.वा.पी. तथा चार सरकारी स्कूलों में 10 कि.वा.पी. एसपीवी संयंत्र बनाए जाएंगें।

56. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौर नगर विकास स्कीम के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सौर नगर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

57. निविष्टि की लागत बढ़ने के कारण विद्युत प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी करना जरूरी हो जाता है लेकिन गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों को इससे कष्ट नहीं होना चाहिए। अतः मैं प्रशुल्क में वृद्धि के कारण लक्षित उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹260 करोड़ की विद्युत सब्सिडी देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके तौर-तरीके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा तय किए जाएंगें।

58. मैं, 2014-15 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹ 675 करोड़ के आयोजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

59. 10 जुलाई, 2014 को, केन्द्रीय बजट 2014-15 प्रस्तुत करते समय, मैंने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत सुधार के लिए ₹200 करोड़ और जल सुधार के लिए ₹500 करोड़ देने का प्रस्ताव किया है।

60. मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बजट में किसी नए कर या मौजदा कर दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के कुछ मुख्य आयोजना कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया है जिन्हें इस बजट द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है।

61. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का बजट सदन को समर्पित करता हूँ।